

122 Admin (6)
20-2-15

प्रेषक

D. No. 768
Dt. 16-2-15

विधि परामर्शी एवं प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

सेवा में

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।
2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।
3. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा सरकार।
4. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय,
चण्डीगढ़।

यादी क्रमांक : रा0भा0वि0/2015/561-4-35/
दिनांक चण्डीगढ़ 16.2.15

विषय:

ई-गजट-वैब साईट पर अधिसूचनाओं के गजट का मुद्रण तथा अपलोड करना।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नियंत्रक, मुद्रण तथा

लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा के पत्र क्रमांक पीएण्डरसरच/प्रशासन/6162-6400/2014, दिनांक

22.2.2014, स्मरण पत्र क्रमांक 7397-7843/2014, दिनांक 27.11.2014 तथा अपर मुख्य सचिव,

हरियाणा सरकार, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के अर्ध सरकारी पत्र क्रमांक 0630/एडमि-

निश/02.01.2015 के अनुसार मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा ने दिनांक 15.1.2015 से

हरियाणा राजपत्र अर्थात् अधिसूचनाओं का प्रकाशन मनुअली रूप से न करने की बजाए ई-गजट के

माध्यम से करना आरम्भ कर दिया है तथा मनुअली रूप से गजट 15.1.2015 से बन्द कर दिया है।

इस सम्बन्ध में मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग ने ई-गजट को टाईप करने का मानक भी निर्धारित

किया है।

इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस विभाग में प्रकाशन हेतु भेजी जाने वाली सभी

अधिसूचनाओं के प्रारूप हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों प्रारूपों की दो-दो स्वच्छ टंकित हार्ड प्रतियां इस

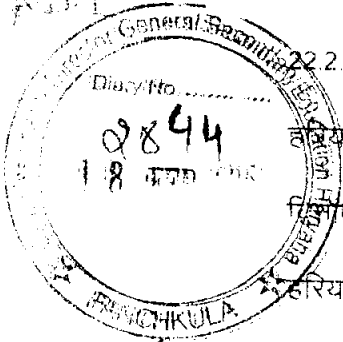
विभाग के विधीक्षित प्रारूपों के अनुसार भलीभांति मिलान करने के उपरान्त कार्यालय रिकार्ड हेतु तथा

इनकी साफ्ट प्रतियां (सी.डी./पैन ड्राईव) में तैयार करके मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा

के निम्नलिखित मानक के अनुसार ए-4 साईज के पेपर पर एम.एस.-वर्ड डॉक्युमेंट्स फाईल में

टाईप करवाकर तथा सम्बन्धित कर्मचारी को भी विचार-विमर्श हेतु व्यक्तिगत रूप से इस विभाग में

भिजवाएं ताकि अधिसूचनाओं का प्रकाशन ई-गजट के माध्यम से करवाया जा सके :-



10 (Admin)

19/2

Shel.

19/2

Ad-4